

November – December 2022
LL. B. (Hons.) II Semester Examination
CONSTITUTIONAL LAW (II)
PAPER III

[Max. Marks 100]

[Min. Marks 40]

Time 3 Hours]

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिये 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है।
Answer any five questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time.

- निम्न में से किन्हीं दो पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए :
(अ) संविधान के अन्तर्गत केन्द्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन
(ब) भारत में पंचायती राज प्रणाली
(स) आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन।
Write detailed notes on any two of the following :
(a) Administration of Union Territories under the Indian Constitution
(b) Panchayati Raj System in India
(c) The Administration of Tribal Areas.
- केन्द्र और राज्यों के विधायी सम्बन्धों को समझाइये सूत्रियों के निर्वचन सम्बन्धी सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिये।
Explain the Legislative Relations between the Centre and the States. Also highlight the principles related to interpretation of the lists.
- केन्द्र और राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्धों पर विस्तृत लेख लिखिये।
Write a detailed note on the Administrative Relations between the Center and States.
- भारतीय संविधान के अधीन केन्द्र राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
Critically evaluate the Financial Relations of the Center and States under the Indian Constitution.
- केन्द्र और राज्यों के अधीन सेवाओं से संवैधानिक प्रावधानों पर एक निबन्ध लिखिये।
Write an essay on the Constitutional provisions related to the Services under the Center and the States.
- निम्न में से किन्हीं दो पर लेख लिखिये :
(अ) अधिकरण (ब) सम्पत्ति का अधिकार (स) राजभाषा।
Write notes on any two of the following :
(a) Tribunals (b) Right to Property (c) Official Language.
- भारतीय सीमा के अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता को समझाइये। संवैधानिक संदर्भ में।
Explain the Freedom of Trade Commerce and intercourse within the territory of India in Constitutional Reference.
- निम्न में से किन्हीं दो पर लेख लिखिये :
(अ) संघ लोक सेवा आयोग (ब) चुनाव आयोग (स) वित्तीय आपात।
Write notes on any two of the following :
(a) Union Public Service Commission (b) Election Commission (c) Financial Emergency.
- संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 के अधीन दिये गये आपातकालीन प्रावधानों की आलोचनात्मक विवेचना उदाहरण सहित कीजिये।
Critically analyse the emergency provisions given under the Indian Constitution Article 352 and 356 with illustrations.
- ‘भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का अनुठा सम्मिश्रण है।’ इस कथन के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को समझाइये। मौलिक ढाँचे के सिद्धान्त के साथ।
The Indian Constitution is a unique blend of Rigidity and Flexibility – in reference to this statement explain amending procedure of the Constitution together with the Basic Structure Theory.